न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 15/2021 GCMS NO 2021/135

1. शारदा देवी पत्नि रमेश चंद
2. विनोद कुमार पुत्र रमेश चंद
3. विजय कुमार पुत्र रमेश चंद
4. दिनेश कुमार पुत्र रमेश चंद
5. संजय कुमार पुत्र रमेश चंद
6. सपना कुमारी पुत्री रमेश चंद
7. प्रकाश चंद पुत्र भज्जू
8. गोविन्दराम पुत्र भज्जू
9. मोहनलाल पुत्र भज्जू सभी जाति महाजन निवासीयान कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

मोहन सिह पुत्र रामसिह जाति राजपूत निवासी कमालपुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 78/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामभरोसी गोयल

अभिभाषक रैस्पो0 श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता

दिनांक 20.6.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.21 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांट मृतक रमेश चुद पुत्र भज्जू व वादी संख्या 2 ता 4 ने दावा इस्तकरारहक,स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम कमालपुरा की आराजी खसरा न0 794 रकबा 0.26 है0 का भू प्रबंध विभाग से गत खसरा न0 723 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा था। हाल जमाबंदी सम्वत 2071 तक के इन्द्राजात मोहन सिह पि0मु0रामसिह राहिन रमेश चंद, प्रकाश चंद, गोविन्दराम, मोहनलाल पुत्र भज्जू कौम महाजन निवासी कमालपुरा मुर्तहीन दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदारी का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2012 से 15 तक मे रामसिह बल्द बने सिह राहिन भज्जू बल्द कजोडया महाजन मुर्तहीन दर्ज है। इसके बाद की जमाबंदी लगातार सम्वत 2071–74 तक मे [illegible] सिह राहिन भज्जू व उनके पुत्र वादीगण के नाम मुर्तहीन दर्ज है। प्रतिवादी [illegible] पिता का नाम रामसिह तथा वादीगण के पिता का नाम भज्जू है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी [illegible] रहन मुर्तहीन का इन्द्राज है। रामसिह,भज्जू की मृत्यु के बाद विरासत मे इनका नाम दर्ज है। यह भूमि वादीगण [illegible] खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 [illegible] होने के समय तथा [illegible] से ही इस आराजी पर वादीगण तथा उनके बुजुर्ग भज्जू का कब्जा काश्त रहा है तथा तभी से आज तक सैकडो

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

साल से लगातार कब्जा है। खसरा गिरदावरी मे भी वादीगण व उनके पिता भज्जू का कब्जा काश्त दर्ज है। इस आराजी को प्रतिवादी के बुजुर्ग ने रहन रखी थी। रहन बागुजास्त की समय अवधि कानूनन समाप्त हो चुकी है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 43 मे संशोधन से पूर्व 20 वर्ष का रहन बागुजास्त की समय अवधि है। संशोधन के बाद 5 वर्ष का है। लेकिन यह भूमि बागुजास्त नही हुई बतौर मुर्तहीन वादीगण व पूर्व मे वादीगण के पिता भज्जू का पिछले सैकडो साल से आज तक कब्जा वैधानिक रूप से निर्विवाद चला आ रहा है। प्रतिवादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत कानूनन खातेदारी के अधिकार समाप्त हो गये है तथा लॉगटर्म पजेशन के आधार पर वादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है और अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है एवं खातेदार है। उक्त आराजीयात की खातेदारी वादी के नाम प्रतिवादी से कहने पर उनके द्वारा साफ इंकार किये जाने के कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री किया जाकर भूमि हाल खसरा न0 794 रकबा 0.26 है0 ग्राम कमालपुरा का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राहिन मुर्तहीन का इन्द्राज निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी अमल करे। प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि भूमि को रहन बय नही करे एवं वादीगण के कब्जे काश्त मे रूकावट पैदा नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश खिलाफ कानून व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 794 रकबा 0.26 है0 का भू प्रबंध विभाग से गत खसरा न0 723 रकबा 1 बीघा 1 विस्वा था। हाल जमाबंदी सम्वत 2071 तक के इन्द्राजात मोहन सिह पि0मु0रामसिह राहिन रमेश चंद, प्रकाश चंद, गोविन्दराम, मोहनलाल पुत्र भज्जू कौम महाजन निवासी कमालपुरा मुर्तहीन दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदारी का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2012 से 15 तक मे रामसिह बल्द बने सिह राहिन भज्जू बल्द कजोड़या महाजन मुर्तहीन दर्ज है। इसके बाद की जमाबंदी लगातार सम्वत 2071–74 तक मे रामसिह,मोहन सिह राहिन भज्जू व उनके पुत्र वादीगण के नाम मुर्तहीन दर्ज है। प्रतिवादी मोहन सिह के पिता का नाम रामसिह तथा वादीगण के पिता का नाम भज्जू है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी के पिता के नाम रहन मुर्तहीन का इन्द्राज है। रामसिह,भज्जू की मृत्यु के बाद विरासत मे इनका नाम दर्ज है। यह भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 लागू होने के समय अथवा पूर्व से इस आराजी पर वादीगण तथा उनके बुजुर्ग भज्जू का कब्जा काश्त रहा है तथा तभी से आज तक सैकडो साल से लगातार कब्जा है। खसरा गिरदावरी मे भी वादीगण व उनके पिता भज्जू का कब्जा काश्त दर्ज है। इस आराजी को प्रतिवादी के बुजुर्ग ने रहन रखी थी। रहन बागुजास्त की समय अवधि कानूनन समाप्त हो चुकी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Ba[illegible]
Date: 2025.10.10 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 43 मे संशोधन से पूर्व 20 वर्ष का रहन बागुजास्त की समय अवधि है। संशोधन के बाद 5 वर्ष का है। लेकिन यह भूमि बागुजास्त नही हुई बतौर मुर्तहीन वादीगण व पूर्व मे वादीगण के पिता भज्जू का पिछले सैकडो साल से आज तक कब्जा वैधानिक रूप से निर्विवाद चला आ रहा है। प्रतिवादी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत कानूनन खातेदारी के अधिकार समाप्त हो गये है तथा लॉगटर्म पजेशन के आधार पर वादीगण कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये है और अपने हक मे खातेदारी कराने के हकदार है एवं खातेदार है। अपीलांट ने अधिनस्थ न्यायालय मे दस्तावेज भी प्रस्तुत किये है तथा अपने हक मे साक्ष्य प्रस्तुत की है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का सही अवलोकन नही किया तथा दावे को खारिज करने मे कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 794 रकबा 0.26 है0 के साबिक खसरा न0 723 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा अपीलांट/ वादीगण के नाम रहन का नोट गलत अंकित है। आराजी 5 वर्ष मे रहन से मुक्त हो जाती है। उसके बाद भी रहन का नोट रहता है तो अपीलांट/वादीगण ट्रेस पासर की तारीफ मे आता है। इस प्रकार अपीलांट/वादीगण का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। उक्त आराजी रेस्पो0/प्रतिवादी के कब्जे मे है। पूर्व मे प्रतिवादी/रेस्पो0 के पिता के कब्जे मे था एवं वर्तमान मे रेस्पो/प्रतिवादी के कब्जे मे है। उक्त आराजी रेस्पो0 के बुजुर्ग की थी। आज रेस्पो0 के कब्जे काश्त की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 को सिद्व करने भार वादी/अपीलांट को दिया गया था। जिसे अपीलांट/वादी सिद्व नही कर पाया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। इस प्रकार अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि ग्राम कमालपुरा की आराजी ख0न0 794 रकबा 0.26 है0 का भू प्रबंध विभाग से गत खसरा न0 723 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा था। उक्त भूमि के हाल जमाबंदी सम्वत 2071 तक के इन्द्राजात मोहन सिह पि0मु0रामसिह राहिन रमेश चंद, प्रकाश चंद, गोविन्दराम, मोहनलाल पुत्र भज्जू कौम महाजन निवासी कमालपुरा मुर्तहीन दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात की खातेदारी का इन्द्राज जमाबंदी सम्वत 2012 से 15 तक मे रामसिह बल्द बने सिह राहिन भज्जू बल्द कजोडया महाजन मुर्तहीन दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2071–74 [illegible] राहिन भज्जू व उनके पुत्र वादीगण के नाम मुर्तहीन दर्ज है। विवादित आराजीयात पर राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1956 लागू होने से पूर्व से वादीगण/अपीलांट के पूर्वज भज्जू [illegible] है जिसकी ताईद अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध बयान विनोद पुत्र रमेश चंद से एवं वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र से होती है। विवादित आराजीयात पर रेस्पो0/प्रतिवादी का कब्जा काश्त सिद्व नही होता है। उक्त विवादित आराजीयात पर रेस्पो0 के राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 63 के तहत कानूनन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी के अधिकार समाप्त हो गये है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भूमि के रहन मुर्तहीन के इन्द्राजात एवं कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट/वादीगण को खातेदारी के अधिकार तो प्राप्त हो सकते है परन्तु विवादित भूमि का रजिस्ट्रेशन शुल्क राजकोष मे जमा होने का अभाव होने से राजकोष को हानि होना साबित है। अतः अपीलांट की अपील इस शर्त पर स्वीकार की जाती है कि यदि वादीगण/अपीलांट विवादित भूमि की रजिस्ट्रेशन शुल्क संबंधित उप पंजीयक के यहाँ जमा कराते है तो विधि अनुसार उक्त आराजीयात की खातेदारी वादीगण/अपीलांट के नाम दर्ज किया जाना विधि सम्मत है।

अतःअपील अपीलांट सशर्त स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के प्रकरण संख्या 78/17 निर्णय व डिक्री दिनांक 3.3.21 को अपास्त किया जाता है। वादीगण/अपीलांट को विवादित आराजीयात का रजिस्ट्रेशन शुल्क सब रजिस्ट्रार के यहाँ जमा कराने की शर्त पर आराजी ख0न0 794 रकबा 0.26 है0 वाके ग्राम कमालपुरा तहसील टोडाभीम का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी/अपीलांट द्वारा रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कराने के उपरान्त ही तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.6.25 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अपील अधिकारी सवाई माधोपुर (राजस्थान)

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:58:57 IST
Reason: SelfAttested